आवश्यक 373

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2013/I/51238/2016 दिनांकः-27/5/2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

विषयः– चिकित्सा संस्थानों में विलम्बित घटनाओं के पंजीयन हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के मार्गदर्शन अनुसार ''संस्थागत घटनाओं के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नही है। यह घटनाऐं संस्था से नियमानुसार विलम्ब शुल्क लेने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा भी पंजीकृत की जा सकती है।''

अतः चिकित्सा संस्थान के अलावा विलम्बित श्रेणी के अन्तर्गत जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 एवं राजस्थान जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप निदेशक (जीवनांक)

क्रमांकः– एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2013/I/51238/2016 दिनांकः-27/5/2016

प्रतिलिपिः– श्री अमित अग्रवाल, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, राजस्थान को प्रेषित कर अनुरोध है कि वेबपोर्टल 'पहचान' के अन्तर्गत भी संस्थानों में एक वर्ष से अधिक विलम्बित घटनाओं के पंजीयन हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुज्ञा का ऑप्शन हटवाने का श्रम करावें।

उप निदेशक (जीवनांक)